राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत काछबली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत काछबली

प्रकरण सं. – 08/2014 रे0वा0   निर्णय दिनांक – 16.06.2015

अनवान

1. श्रीमति मूमी देवी पत्नि रामसिंह जाति रावत निवासी पायरी तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री वेणसिंह पिता रामसिंह जाति रावत निवासी काछबली खेरावडी तहसील भीम
2. श्री डाउसिंह पिता रामसिंह जाति रावत निवासी काछबली खेरावडी तहसील भीम
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 88 व 188 आरटीए</u>

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगणो का निम्न प्रकार वादपत्र पेश है कि मौजा पायरी पटवार मण्डल काछबली तहसील भीम में वादीया एवं प्रतिवादीगणो के सयुक्त खाते निम्न प्रकार है:-

खाता नं.	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
177	6390	00	19	00	चाही 1
	6391	00	03	00	गै0मु0बाडा
	6392	00	02	10	गै0मु0बाडा
	6393	00	02	00	गै0मु0बाडा
	6394	00	06	00	बंझड
	6395	00	05	00	बारानी
	6396	00	05	00	बारानी
कुल किता 7 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा					

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामसिंह पिता मालसिंह के पुत्र है। वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजियात में वादीया का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है।

यह कि मौके पर जमीन बराबर बटी नही होने की वजह से किसी के पास ज्यादा व किसी के पास कम जमीन होने से फसल बोते व काटते समय अक्सर लडाई झगडा होता है व लगान जमा करवाने में परेशानी होती है। मौके पर शान्ति बनी रहे व विवाद न हो इस हेतु हिस्सा बंटवारा कर अलग अलग सपुर्द कर दी जावें तो विवाद समाप्त हो जावेगा।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प काछबली** मे पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वर्णित आराजियात में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा एवं वादी व प्रतिवादी दोनो संयुक्त रूप से उक्त वर्णित आराजियात पर वादी एवं प्रतिवादीगणो को काबिल काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्से अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

( )
सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द